

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)□

नई दिल्ली, 31 मई, 2024□

सा.का.नि. 108.—प्रति, विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणि य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) जसमूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 को, इन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणि य और उद्योग मंत्रालय में तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) जिन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणि य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) जसमूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि —भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनिरर्हता —वह व्यक्ति —□

(क) □ जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;□

(ख) □ जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, □

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :□

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति —जिहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जिहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, जिन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, अिदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. ज्य्यावृत्ति —जिन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, □ जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)□	1* (2024)□ *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, □ अननुसचिवीय, □ राजपत्रित, जसमूह 'क' □	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 14 □ (144200□ 218200रू.)□	लागू नहीं होता।	पचास वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। निर्णायक विवरण: □ आयु-सीमा अवधारित करने के

					लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक ः अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री;□ अनुभव बॉयलर के विनिर्माण या प्रचालन या रखरखाव या निरीक्षण में भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 के अनुपालन में बॉयलर के विनियमन का पंद्रह साल का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, निम्नलिखित सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है:□ केन्द्रीय सरकार या रा.य. सरकार या संघ रा.य. क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी:- (क) (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. जसचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग -अध्यक्ष 2. उपर सचिव और वित्त सलाहकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग -सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में क्रमशः वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य के स्तर-13क में दो वर्ष की सेवा या स्तर-13जमें तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ सं. 7(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1: ज्योषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. उपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग -सदस्य	
---	---	--

[फा. जं. जू-12018/01/2021-इ. (जी)]

शंभू दत्त सती, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

New Delhi, the 31st May, 2024

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Advisor (Boiler) Group 'A' post Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Technical Advisor (Boiler) in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Technical Advisor (Boiler) Group 'A' post Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Advisor (Boiler)	1* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding fifty Years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government) Crucial Description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential Qualification Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; Experience Fifteen years experience of regulation of boilers in compliance with the Indian Boilers Act, 1923 in Manufacture or Operation or Maintenance or Inspection of Boilers. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the cases of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
One Year for direct recruit.	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Deputation including short term contract:

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations, -

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with two years regular service in level 13A or three years regular service in level 13 in the pay matrix respectively or equivalent in the parent cadre or Department; and
(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty eight years as on the last date of receipt of application.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for each occasion.
1. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade —Chairman;	
2. Additional Secretary and Financial Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade —Member;	
3. Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade —Member.	

[F.No. A-12018/01/2021-Estt(G)]

SHAMBHU DATT SATI, Under Secy.

सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 109.—बहुरा य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 बी 39) तथा संशोधन (2023 बी 11) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री राम कुमार गुप्ता को सहकारी चुनाव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा.सं. 11-11012/07/2023-L&M]

अवनीश रस्तोगी, खबर सचिव